



# कच्चे पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य- पाम तेल, कच्चे पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य- पामोलीन, कच्चे सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां), पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित

Posted On: 28 FEB 2017 8:09PM by PIB Delhi

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 3 अगस्त 2001, जिस भारत के गजट में विशेष रूप से भाग-11, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया है। इसके लिए संख्या एस.ओ. 748 (ई) देखें:-

उपयुक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

## तालिका-1

क्र. सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/ टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	शुल्क (टैरिफ) मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पाम तेल	784
2	1511 90 10	आरबीडी पाम तेल	801
3	1511 90 90	अन्य - पाम तेल	793
4	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	809
5	1511 90 20	आरबीडी पामोलीन	812
6	1511 90 90	अन्य - पामोलीन	811
7	1507 10 00	कच्चा सोयाबीन तेल	814
8	7404 00 22	पीतल कतरन (सभी श्रेणियां)	3246
9	1207 91 00	पोस्ता दाना	2648

## तालिका-2

क्र. सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/ टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	कि सी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 12/2012- सीमा शुल्क दिनांक 17.03.2012 की क्रम संख्या 321 और 323 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है	409 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	कि सी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 12/2012- सीमा शुल्क दिनांक 17.03.2012 की क्रम संख्या 322 और 324 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है	597 प्रति किलोग्राम

तालिका-3

क्र. सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/ टैरिफ मद	व स् तु ओं का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	सुपारी	2594

\*\*\*

बीके/एकेपी/एसकेपी- 550

(Release ID: 1483428) Visitor Counter : 5

